

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आंकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, राज्य बजट अभिलेखों, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

पहला अध्याय वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेटर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूँजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

दूसरा अध्याय विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में चयनित अनुदानों की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

तीसरा अध्याय विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय—1: राज्य सरकार के वित्त

राजकोषीय स्थिति

- राज्य ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 5,740 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा जो कि बजट अनुमानों (₹ 5,588 करोड़) से अधिक था। तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 528 करोड़ की कमी, मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण, जल आपूर्ति एवं ऊर्जा पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण थी।

(कंडिकाएँ 1.1.2 एवं 1.1.3)

- राज्य आपदा मोचन निधि, प्रत्याभूति मोचन निधि, ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि एवं राज्य शासकीय कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में कम अंतरण के कारण राजस्व आधिक्य ₹ 916.82 करोड़ अधिक बताए गए।

(कांडिका 1.1.2)

- वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 14,065 करोड़) में विगत वर्ष से ₹ 2,713 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निवल पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में भी 2014–15 में 2.34 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि यह चौदहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर था।

(कांडिका ए 1.1.2 एवं 1.11.1)

संसाधन संग्रहण

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,05,511 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान 19 प्रतिशत (₹ 16,870 करोड़) की वृद्धि केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 14,291 करोड़ से) एवं स्वंय के कर राजस्व (₹ 3,647 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई।

(कांडिका ए 1.1.1 एवं 1.3)

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता में 1.52 प्रतिशत (2014–15) से 1.15 प्रतिशत (2015–16) की कमी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 11.19 प्रतिशत (2014–15) से 16.62 प्रतिशत (2015–16) में वृद्धि के कारण हुई।

(कांडिका 1.3)

- केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में 2014–15 में ₹ 24,107 करोड़ से 2015–16 के दौरान ₹ 38,398 करोड़ की वृद्धि चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई।

(कांडिका 1.3.5)

- वर्तमान वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत राज्य के स्वंय के संसाधनों से आया जो कि 2014–15 के दौरान 53 प्रतिशत से तुलनात्मक रूप से कम था। कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आकलन से अत्यधिक कम (क्रमशः 19.22 प्रतिशत एवं 32.51 प्रतिशत से) थी।

(कांडिका ए 1.3 एवं 1.3.1)

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- पूँजीगत व्यय में 2011–12 में ₹ 9,055 करोड़ से 2015–16 में ₹ 16,835 करोड़ की वृद्धि अंतरवर्षीय उतार चढ़ाव के साथ हुई। 2015–16 के दौरान, इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,957 करोड़ (42 प्रतिशत से) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,246 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 1,170 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 502 करोड़ से) के अंतर्गत थी। हालांकि, 2015–16 के दौरान पूँजीगत व्यय, बजट अनुमान ₹ 18,140 करोड़ से कम (₹ 1,305 करोड़ से) था।

(कांडिका 1.6.2)

- 2015–16 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 99,771 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 21.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेतर राजस्व व्यय में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। 2015–16 के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय में ₹ 12,461 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 3,051 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 2,146 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,466 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 68,319 करोड़) राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 68,106 करोड़) से थोड़ा सा उच्च था।

(कांडिका 1.6.1 एवं 1.6.3)

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगियां एवं राजसहायताएं (₹ 48,189 करोड़) पर व्यय, राजस्व व्यय का 48 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। ₹ 11,725 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 60 प्रतिशत ऊर्जा विभाग से संबंधित थी।

(कांडिका 1.6.4 एवं 1.6.4.4)

- 2015–16 के दौरान मध्य प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

(कांडिका 1.7.1)

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2015–16 के दौरान, सरकारी उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.86 प्रतिशत के विरुद्ध सरकार द्वारा 2015–16 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में किए गए निवेश ₹ 16,599.57 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 129.64 करोड़) केवल 0.78 प्रतिशत था।

(कांडिका 1.8.1)

- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखे को 2015–16 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 14,460.30 करोड़ था, घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 35,542.78 करोड़ तक हो गया।

(कांडिका 1.8.1)

रोकड़ शेष एवं देयताओं का प्रबंधन

- राज्य सरकार द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में किए गए निवेश में, 31 मार्च 2015 को ₹ 4,791 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 9,485 करोड़, ₹ 4,694 करोड़ की वृद्धि हुई। चूंकि 31 मार्च 2016 को बाजार कर्ज ₹ 56,141 करोड़ था, अतः 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में किए गए उच्च स्तर के निवेशों की समीक्षा की आवश्यकता है।

(कांडिका 1.8.4)

- बकाया राजकोषीय देयताओं में 2011–12 में ₹ 81,757 करोड़ से 2015–16 के अंत में ₹ 1,27,144 करोड़ की लगातार वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2014–15 में 12.25 प्रतिशत के विरुद्ध 2015–16 के दौरान 16.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 12,991 करोड़ से) के अंतर्गत हुई थी। 2015–16 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.50 प्रतिशत थी जो कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 24.87 प्रतिशत के अंदर थी। ऋण की मात्रा बढ़ जाने के परिणामस्वरूप ऋण को चुकाने की देयताओं में वृद्धि हुई है।

(कांडिका 1.9.2)

अध्याय—2: वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

मूल एवं अनुपूरक अनुदानों के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

- वर्ष 2015–16 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,66,610.52 करोड़ के विरुद्ध ₹ 40,796.27 करोड़ (24.49 प्रतिशत) की बड़ी बचतें हुई थी। 36 प्रकरणों (28 अनुदानों/विनियोगों) में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की कुल ₹ 33,602 करोड़ की समग्र बचतें हुई थी जो अनुपयुक्त बजट अनुमानों को दर्शाता है।

(कांडिका ए 2.2 एवं 2.3.1)

बचतों का विलम्ब से समर्पण/समर्पण में विफलता

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 47.70 प्रतिशत (₹ 19,459 करोड़) समर्पित किया गया था। 113 प्रकरणों में ₹ 17,330 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक) की बचतें वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थी, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

(कांडिका ए 2.2 एवं 2.3.8)

आधिक्य व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

- पूर्व वर्षों के 38 अनुदानों एवं 20 विनियोगों से संबंधित ₹ 918.09 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है।

(कांडिका 2.3.5)

सिविल जमा में रखने के लिए राज्य की समेकित निधि से निधियों का अंतरण

- निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए, 31 मार्च 2016 को आहरित ₹ 54.01 करोड़ की निधियों को राज्य की समेकित निधि से लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

(कांडिका 2.3.11)

अध्याय—3: वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्र

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी राशि ₹ 21,359.28 करोड़ के सहायता अनुदानों के संबंध में 31 मार्च 2016 को उपयोगिता प्रमाण—पत्र (27612) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(कांडिका 3.1)

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- पांच स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (205 महीनों तक) हुआ, परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

(कांडिका 3.2)

दुर्विनियोग, हानियां एवं गबन के प्रकरण

- 30 जून 2016 को विभिन्न विभागों में राशि ₹ 37.19 करोड़ के दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के कुल 3099 प्रकरण लंबित थे। 2991 प्रकरणों (97 प्रतिशत) में वसूली या अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे।

(कांडिका 3.3)

बहुप्रयोजन लघुशीर्ष ‘800’ का संचालन

- लघुशीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियां/व्यय’ के अंतर्गत दर्ज की गई वृहद् राशियों (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 17,669.83 करोड़ एवं राजस्व प्राप्तियों मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 11,890.88 करोड़) के वर्गीकरण ने वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित किया।

(कांडिका 3.7)

बैंक खातों का अनियमित रखरखाव

- छ: विभागों में 31 मार्च 2016 की स्थिति में राज्य की समेकित निधि से राशि ₹ 28.25 करोड़ आहरित कर 51 बैंक खातों में रखी गई थी।

(कांडिका 3.9)

व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई निधियाँ

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के, वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2016 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खातों में कुल राशि ₹ 3,231.92 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था। वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बन्द करने में असफल होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय को बढ़ा हुआ बताया गया।

(कंडिका 3.11)